

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) झांझार

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.एस.**

उनवान

श्यामपन् बनाम रामप्रसाद सुक्का

दावा बाबत नामहराज U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 151/2021

निर्णय दिनांक - 06.12.2021

वादी की ओर से राम की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.12.2021 को श्री राहुल सैनी आर.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के सम्क्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - द्वारा वकील स्वीकार
विना फाका कृषि भूमि रोपी सहजुस के जमाना 0237
पर जमाने 20000 रु का भुगतान राम के प्रधान पक्ष श्यामपन्
द्वारा भुगतान राम के जाने के आदेश दिखे जाते हैं। नाम
द्वारा के सहजुस में भुगतान के कोई विकार उत्पन्न होना
का समस्त जिम्मेवारी वही की होगी वकील सुक्का
जमाना 20000 रु का भुगतान में रामप्रसाद के
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



06/12/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़

1111
06.12.2021

